

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
 प्रकरण क्रमांक 107/2012  
 संस्थापित दिनांक 13/03/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
 गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

#### बनाम

1. विनोदसिंह पुत्र तर्जन सिंह गुर्जर उम्र 33 वर्ष  
 निवासी जेल रोड गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 279, 337 एवं 304ए भा.द.सं)  
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)  
 (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 18.12.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 31.12.11 को समय लगभग 20:00 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बूटी कुईया के पास लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बस क्र0 एमपी.-07-पी.-0366 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी कुलदीप एवं आहत संजय मौर्य, जीतू, महावीर, वीरभद्रसिंह, भगवतीशरण, वंदना, मूलचन्द्र, रेखा, देवीप्रसाद, सौरव, लक्ष्मी, संगीता, गौराबाई, भगवानदास एवं राजीव कुमार को टक्कर मारकर उन्हें साधारण उपहति कारित की एवं आहत प्रियांशी को टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.द.सं. की धारा 279, 337 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 31.12.11 को फरियादी कुलदीप अपनी पत्नि रेखा एवं पुत्री प्रियांशी के साथ ग्वालियर से बस क्र0 एमपी.-07-पी.-0366 में बैठकर गोहद आ रहा था बस में और भी सवारियां बैठी हुई थीं। बस भिण्ड ग्वालियर रोड पर बूटी कुईया से निकलकर रोड पर आई थी तो बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चलाने लगा था उसने बस चालक से बस धीमे चलाने के लिए कहा था फिर बस लहराकर पलट गई थी जिससे उसके बांय कंधे में चोट आई थी तथा उसकी पत्नि रेखा के माथे पर दाहिने हाथ एवं बांय हाथ में चोट लगकर खून आ गया था एवं उसकी बच्ची प्रियांशी खत्म हो गई थी बस में बैठी अन्य सवारी भगवतीशरण जोशी, संजय मौर्य, गौराबाई, जीतू वगैरह अन्य सवारियों को भी चोटें आई थी बस में कोहराम मच गया था पुलिस ने आकर उन लोगों को निकाला था। फरियादी द्वारा अस्पताल गोहद में अपराध क्र0 0/11 पर देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई थी तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद चौराहे में अपराध क्रमांक 1/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का

नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान फरियादी कुलदीप, आहत रेखा, मूलचंद एवं लक्ष्मी द्वारा आरोपी से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दवाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही फरियादी कुलदीप एवं आहत रेखा मूलचंद तथा लक्ष्मी के संबंध में भादसं की धारा 338 एवं 337 के आरोप से दोषमुक्त कियाजा चुका है तथा आरोपी के विरुद्ध शेष आहतगण के संबंध में भादसं की धारा 279, 337 एवं 304ए के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 31.12.11 को समय करीबन लगभग 20:00 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बूटी कुईया के पास लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बस क्र0 एमपी.-07-पी.-0366 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर बस क्र0 एमपी.-07-पी.-0366 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए बस को पलटकर आहत संजय मौर्य, जीतू, महावीर, वीरभद्रसिंह, भगवतीशरण, वंदना, देवीप्रसाद, सौरव, संगीता, गौराबाई, भगवानदास एवं राजीव कुमार कोचोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति एवं प्रियांशी को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से कुलदीप अ0सा01, रेखा अ0सा02, एस0आई0 बी0एल0बंसल अ0सा03, राजीव कुमार अ0सा04, भगवती शरण जोशी अ0सा05, डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा06, लक्ष्मी अ0सा07, मूलचंद अ0सा08, संजय मौर्य अ0सा09, भगवानदास अग्रवाल अ0सा010, गौराबाई अ0सा011, श्रीमती वंदना अ0सा012, सौरभ शर्मा अ0सा013, जीतू अ0सा014, वीरभद्र सिंह अ0सा015 एवं डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा016 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण  
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी कुलदीप अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वर्ष 2011 के शाम के समय की है वह घटना वाले दिन बस

में बैठकर गोहद आ रहा था। उसके साथ उसकी पत्नि रेखा भी थी। बस के अंदर और भी सवारियां थी। जिस बस से वह लोग जा रहे थे टायर फअने से वह बस पलट गई थी बस का नंबर उसे याद नपही है दुर्घटना में उसे व उसकी पत्नि को चोटें आई थी तथा उसकी लडकी प्रियांशी खत्म हो गई थी उसने पुलिस थाना गोहद चौराहा में घटना की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई थी।

जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को अकाल मृत्यु की सूचना दी थी नक्शा लाश पंयाचत नामा प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं मृत्यु जांच प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह बस क्र0 एमपी.-07-पी.-0366 में गवालियर से बैठकर गोहद आ रहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि बस के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाया था जिस कारण बस पलट गई थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बस का टायर फअने से गाडी पलट गई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी बस को तेजी व लापरवाही से नहीं चला रहा था एवं व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है।

10. आहत रेखा अ0सा02, राजीव कुमार अ0सा04, भगवतीशरण अ0सा05, लक्ष्मी अ0सा07, मूलचंद अ0सा08, संजय मौर्य अ0सा09, भगवानदास अग्रवाल अ0सा010, गौराबाई अ0सा011, श्रीमती वंदना अ0सा012, सौरभ शर्मा अ0सा013, जीतू अ0सा014, वीरभद्रसिंह अ0सा015 ने भी अपने कथन में बस पलटने से चोटें आना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

11. डॉ0 आलोक शर्मा अ0आ06 ने चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी010 लगायत 26 को प्रमाणित किया है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा016 ने मृतक प्रियांशी की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी033 को प्रमाणित किया है एवं एस आई बी एल बंसल अ0सा03 ने प्र0पी01 की देहाती नालसी को प्रमाणित किया है एवं विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी कुलदीप अ0सा01 जिसके द्वारा प्र0पी01 की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटना वाले दिन पत्नि रेखा एवं पुत्री प्रियांशी के साथ बस में बैठकर गोहद जाना तथा बस पलटने से उसे व रेखा को चोटें आना तथा प्रियांशी की मृत्यु हो जाना बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त बस काक नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण कि ए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना वाले दिन बस क्र0 एमपी.-07-पी.-0366 में बैठकर गोहद आ रहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि बस चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाया था जिस कारण बस पलट गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है तथा यह भी स्वीकार किया है कि टायर फअने से बस पलट गई थी। इस प्रकार फरियादी कुलदीप अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि बस टायर फअने से पलट गई थी जबकि प्र0पी01 की देहाती नालसी में बस चालक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पलट देने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी कुलदीप अ0आ01 का कथन प्र0पी01 की देहाती नालसी से विरोधाभासी रहा है इसके अतिरिक्त फरियादी कुलदीप अ0सा01 ने बस पलटने से उसके व उसकी

पत्नि रेखा के चोटें आना तथ्य उसकी पुत्री प्रियांशी की मृत्यु होना तो बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14. आहत रेखा अ0सा02 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटना वाले दिन बस में बैठकर जाना एवं टायर फअने से उसे व उसके पति को तथा बस में बैठी अन्य सवारियों के चोटें अना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि बस का नंबर उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह बस क0 एमपी.-07-पी.-0366 में बैठकर ग्वालियर से गोहद आ रही थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि बस के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाया था जिस कारण बस पलट गई थी प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी ने घटना कारित नहीं की थी। इस प्रकार आहत रेखा अ0सा02 ने भी बस पलटने से चोटें आना तो बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है एवं उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

15. साक्षी राजीव कुमार अ0सा04 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक दिन वह बस में आ रहा था बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए थे तो उसके दाहिने आंख के उपरचोट आ गई थी उसके समने किसी चालक ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया था। साक्षी भगवतीशरण अ0सा05 ने भी वर्ष 2011 में शाम के समय बूटी कुईया के पास बस पलट जाना एवं बस पलटने से उसे चोटें आना बताया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बस क्यों पलटी थी बस का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस का नंबर एमपी.-07-पी.-0366 था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि बस चालक बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बस को पलट दिया था। इस प्रकार साक्षी राजीव कुमार अ0सा04 एवं भगवतीशरण अ0सा05 ने अपने कथन में चोटें आना तो बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. साक्षी लक्ष्मी अ0सा07 एवं मूलचंद अ0सा08 ने भी घटना वाले दिन ग्वालियर से बस में बैठकर गोहद आना एवं बूटी कुईया के पास बस पलटने से उसे व बस में बैठे अन्य लोगो को चोटें आना बताया है। परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा भी यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का सर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी विनोद सिंह ने आरोपित बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षीगण द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

17. साक्षी संजय मोर्य अ0सा09 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से 2-3 साल पहले जनवरी में वह मालनपुर से गोहद बस में बैठकर आ रहा था। उक्त बस में लाइट वगैरह नहीं थी। मालनपुर से रायतपुरा के बीच में गिटटी क डेर था उसने बस चढा दी थी जिससे बस पलट गई थी वह बस के नीचे फंस गया था उसके साथ जीतू, रिन्कू, कल्लू



थे उसे बस का नंबर आज ध्यान नहीं है। वह आरोपी विनोद सिंह को नहीं जानता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बस का नंबर एमपी.-07-पी.-0366 था एवं इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि बस वाला बस को लापरवाही से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बस कौन चालक चला रहा था उसे उसका नाम नहीं पता है।

18. इस प्रकार संजय मौर्य अ0सा09 ने अपने कथन में यह तो बताया है कि बस क0 एमपी.-07-पी.-0366 को बस चालक लापरवाही से चला रहा था परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस को कौन चला रहा था उक्त साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान नहीं की गई है। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

19. साक्षी भगवानदास अग्रवाल अ0सा010 ने अपने कथन में भी घटना वाले दिन बस में बैठकर ग्वालियर से गोहद आना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि बस कानंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता है। वह दवाई खाकर बस में बेहोशी हालत में बैठा था वह नहीं बता सकता है कि उक्त बस का एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि उक्त बसको आरोपी विनोद चला रहा था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपी विनोद ने बस को बूटी कुईया के आगे बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया था। इस प्रकार भगवानदास अग्रवाल अ0सा010 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

20. साक्षी गौराबाई अ0सा011 ने भी अपने कथन में बूटी कुईया के पास बस गिरने से उसका व अन्य सवारियों के चोटें आना बताया है। साक्षी वंदना अ0सा12 सौरभ शर्मा अ0सा013 जीतू अ0सा014 एवं वीरभद्र सिंह अ0सा015 ने भी बस का एक्सीडेंट होने एवं एक्सीडेंट में उन्हें चोटें आना बताया है परंतु उक्त सभी साक्षीगण द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाली बस का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त सभी साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

21. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा06 द्वारा आहत गण की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी010 लगायत 26 को प्रमाणित किया गया है। डॉ0 आर विमलेश अ0सा016 द्वारा मृतक प्रियांशी की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी033 को प्रमाणित किया गया है एवं एस आई बी एल बंसल अ0सा03 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

22. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी कुलदीप अ0सा01 आहत रेखा अ0सा02 राजीव कुमार अ0सा04 भगवतीशरण अ0सा05 लक्ष्मी अ0सा07 मूलचंद अ0सा08 संजय मौर्य अ0सा09 भगवानदास अग्रवाल अ0सा010 गौराबाई अ0सा011 वंदना अ0सा012 सौरभ शर्मा अ0सा013 जीतू अ0सा014 एवं वीरभद्र सिंह अ0सा015 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। एस आई बी एल बंसल अ0सा03 डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा06 एवं डॉ0 आर विमलेश अ0सा016 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी

आरोपित बस क्र० एमपी.-07-पी.-0366 को आरोपी विनोद सिंह चला रहा था एवं आरोपी विनोद सिंह ने आरोपित बस को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए बस को पलटकर दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित तहोना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

23. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 31.12.11 को समय लगभग 20:00 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बूटी कुईया के पास लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बस क्र० एमपी.-07-पी.-0366 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उसी समय बस को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए बस को पलटकर उसमें बैठे आहत संजय मौर्य, जीतू, महावीर, वीरभद्रसिंह, भगवतीशरण, वंदना, देवीप्रसाद, सौरव, संगीता, गौराबाई, भगवानदास एवं राजीव कुमार को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठी प्रियांशी को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी विनोद सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 279, 337 एवं 304ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

25. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

26. प्रकरण में जप्तशुदा बस क्र० एमपी.-07 पी.-0366 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 18.12.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)